हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
12.1.22	प्रार्थिया की ओर से यह प्रार्थना पत्र श्री दशरथ [illegible] ROR Act के पेश किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का [illegible] मंगाई गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी की ओर से रिपोर्ट पटवारी प्राप्त हुई। वकील वादी द्वारा बहस की गई व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया गया। पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं जमाबन्दी पटवारी हल्का [illegible] एवं उक्त दस्तावेज का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से, प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। [illegible] पृथक से लिखा जाकर आदेश जारी किया गया। पत्रावली फैसल [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर (रा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 7/2022

तारीख दायरा– 05.01.2022

उनवान

प्रेमबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी रामकिशन जाति किराड निवासी ग्राम मोईखुर्द तहसील सांगोद हाल निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

उपस्थित :–

श्री दशरथ सिंह (वकील प्रार्थीया) दिनांक :–12.01.2022

श्री सरकार पैरोकार

–: संशोधित निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम मोईखुर्द पटवार क्षेत्र किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 191 के खसरा न0 176 की 1.13 हैक्टर, खसरा न0 376 की 0.15 हैक्टर, खसरा न0 377 की 1.06 हैक्टर कुल 3 किता की कुल 2.34 हैक्टर व खाता [illegible]92 के खसरा न0 283 की 3.30 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 3.30 हैक्टर आराजी व [illegible] पटवार हलका बोरीना कलां तहसील सांगोद में खाता स0 नई 67 के खसरा न0 [illegible] की 0.97 हैक्टर, खसरा न0 82 की 0.51 हैक्टर, खसरा न0 83 की 0.34 हैक्टर, खसरा न0 8[illegible] की 0.09 हैक्टर, खसरा न0 86 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 88 की 0.32 हैक्टर, खसरा न0 89 की 0.06 हैक्टर कुल 7 किता की कुल 2.33 हैक्टर आराजीयात स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीया का हिस्सा निहित है और प्रार्थीया अपने हिस्से की आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया ने अभी हाल में अपने हिस्से की आराजी पर कृषि ऋण लेने के लिए राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की और बैंक में जाकर प्रस्तुत करने पर बैंक अधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में रेणु पुत्री भैरूलाल दर्ज होने व प्रार्थीया के आधार कार्ड व अन्य पहचान के दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम प्रेमबाई होने से प्रार्थीया के नाम में भिन्नता मानते हुए प्रार्थीया को कृषि ऋण देने में असमर्थता जाहिर की। जिसके बाद प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी तहसीलदार महोदय सांगोद से प्रार्थीया का नाम दुरस्त करने के लिए निवेदन करने पर उनके द्वारा प्रार्थीया का नाम दुरस्त करने के लिए माननीय न्यायालय मे कार्यवाही करने के लिए कहने से प्रार्थीया के लिए उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। रेणु प्रार्थीया का घर का नाम है तथा प्रार्थीया को घर पर बोलचाल में रेणु नाम से पुकारते हैं, जिसके कारण राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम रेणु दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम प्रेमबाई है तथा आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम प्रेमबाई है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में रेणु के स्थान पर प्रेमबाई दर्ज किया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। जिसके पश्चात अप्रार्थी की तरफ से पटवारी हलका किशनपुरा की रिर्पोट प्रस्तुत हुई, जिसमें प्रार्थीया का नाम रेणु के स्थान पर प्रेमबाई दर्ज किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। वकील वादी द्वारा बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं जवाब पटवारी हलका किशनपुरा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम मोईखुर्द पटवार क्षेत्र किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 191 के खसरा न0 176 की 1.13 हैक्टर, खसरा न0 376 की 0.15 [illegible] 377 की 1.06 हैक्टर कुल 3 किता की कुल 2.34 हैक्टर व खाता स0 नई 192 के [illegible] 3 की 3.30 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 3.30 हैक्टर आराजी व माल [illegible] कलां तहसील सांगोद में खाता स0 नई 67 के खसरा न0 74 की 0.97 हैक्टर, ख[illegible] न0 82 की 0.51 हैक्टर, खसरा न0 83 की 0.34 हैक्टर, खसरा न0 84 की 0.09 हैक्टर, खसरा न0 86 की 0.04 हैक्टर, खसरा न0 88 की 0.32 हैक्टर, खसरा न0 89 की 0.06 हैक्टर कुल 7 किता की कुल 2.33 हैक्टर आराजीयात के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रार्थीया के नाम रेणु पुत्री भैरूलाल को दुरस्त किया जाकर प्रेमबाई पुत्री भैरूलाल किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.01.2022को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:43 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद